भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3690
18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

निजता और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान

3690. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डेटा इनोवेशन लैब केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है अथवा इसके अंतर्गत ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) नागरिकों की निजता और संवेदनशील जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): मंत्रालय की क्षमता विकास स्कीम के अंतर्गत डेटा इनोवेशन लैब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो प्रयोग के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। यह पूरे देश में लागू है।

(ख): सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर डीआई लैब के अंतर्गत नवाचार शुरू किया जाएगा। तथापि, इस पहल के तहत नागरिकों की निजता और संवेदनशील जानकारी के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए गोपनीयता और निजता से संबंधित उप-खंड को विभिन्न हितधारकों के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंध और समझौता ज्ञापन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

****